न्यायालय माननीय राजस्व मंडल,मध्य प्रदेश ग्वालियर म0प्र0

III/निगरानी/दतिया/भू.रा./2018/0478

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी/सेवढ़ा जिला दतिया

रामचरण कुशवाह पुत्र स्व0 श्री ललुआ, आयु 65 वर्ष, निवासी–ग्राम भड़ौल तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया म0प्र0 ....**निगरानीकर्ता**

बनाम

बुद्ध सिंह कुशवाह पुत्र स्व0 श्री ललुआ, आयु 60 वर्ष, निवासी–ग्राम भड़ौल तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया म0प्र0 ....**प्रत्यार्थी**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 10.11.2017 जोकि अधिनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा जिला दतिया म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 73/ अपील/16–17 वउनवान रामचरण कुशवाह बनाम बुद्धसिंह मे पारित किया गया जो कि निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पंचायत भड़ौल के ग्रामसभा ने दिनांक 26.01.2010 व प्रस्ताव कमांक 4 द्वारा स्वीकृत किये गये बटवांरा आदेश से दुखित होकर प्रस्तुत की थी।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्यः–

1. यहकि ग्राम भड़ोल तहसील इन्दरगढ़ जिला दतिया की आराजी सर्वे कमांक 24/2 रकवा 0.58 एवं आराजी सर्वे कमांक 28 रकवा 0.20 एवं आराजी सर्वे कमांक 29/1 रकवा 0.23 तथा आराजी सर्वे कमाक 285/2 रकवा 0.39 एवं आराजी सर्वे कमांक 440/1 रकवा 0.04 कुल किता 5 कुल रकवा 1.44 हैक्टेयर कुल लगान 17.62 रूपया ग्राम भड़ोल निगरानीकर्ता एवं प्रत्यार्थी के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की पुश्तैनी आराजी थी।

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

(2)

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरणक्रमांक / तीन / निग0 / दतिया / भू.रा. / 2018 / 0478

	रामचरण कार्यवाही तथा आदेश बुद्ध सिंह	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–03–18	यह निगरानी प्रकरण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सेंवड़ा जिला दतिया के न्यायालयीन प्रकरण कमांक 73 / अपील / 16–17 में पारित आदेश दिनांक 26.01.2010 से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक की ओर से श्री लक्ष्येन्द्र झा अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किए गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है जिन्हें यहां पुनरांकित न करते हुए उन पर विचार किया जा रहा है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के अनुक्रम में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 26.01. 2010 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में धारा 5 समय विधान पर निर्णय लिया गया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। विस्तृत विवेचना अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 26.01.2010 में की जाने से यहां उसी विवेचना को पुनरांकित न करते हुए उस पर विचार किय गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरारी प्रकरण अग्राहय किया जाता है पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो। (डॉ0 एम0के0 अग्रवाल) सदस्य	